बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 12/2018- 4846 /वि०स०, दिनांक- 19/9/18

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का दशम् सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 20 जुलाई, 2018 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 26 जुलाई, 2018 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । दशम् सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक सम्बोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के दशम् सत्र के शुभारंभ के अवसर पर निम्न प्रारम्भिक सम्बोधन दिया गया:-

माननीय सदस्यगण, सोलहवीं बिहार कानूनसाज एसेम्बली के दसवीं इजलास के शुरूआत के मौके पर आप सभी माननीय सदस्यों का मैं तहेदिल से इस्तकबाल करता हूँ । इस इजलास में कुल 05 बैठकें मुकर्रर की गई है । इसमें माली साल 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी एवं सरकारी बिलों की पेशी होगी । इसके अलावा गैर सरकारी संकल्प भी लिए जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, पार्लियामानी जम्हूरियत की एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें एक ही निजाम के दो हिस्सों को आपस में मिलजुल कर काम करने का मौका मिलता है । सियासी शख्स अपने सौहार्द्र एवं तजुर्बो से इन्सानी एवं समाजी मसाएल से अच्छी तरह से वाकिफ रहते हैं । उनके ख्यालात और समाजी मसाएल अमन एवं तरक्कीपसन्द होते हैं और उनकी आम फितरत सद्भाव एवं मेल-जोल की होती है । समाजी मसायल को सुलझाने के सिलसिले में उनका नजरिया व्यापक और सकारात्मक हो जाता है । जनहित के मामले में उनका जिम्मेदाराना और भरोसेमंद नेतृत्व सूबे को तरक्की की राह पर ले चलता है ।

माननीय सदस्यगण, जम्हूरियत में सियासी प्रक्रिया सामाजिक एवं आर्थिक दुश्वारियों के दुरूह मार्ग से होकर गुजरती है । ऐसी स्थिति में मंजिल तक पहुंचने के लिए कानून बनाना, उसकी समीक्षा करना और उसे अमलीजामा पहनाया जाना आप मेम्बरान के ही सूझ-बूझ पर निर्भर करता है । बिहार की तरक्की को निशाना रखकर ही हम सभी इस असेम्बली में बहसो मोबाहसा करते हैं । इस पसेमंजर में, मुझे पूरा यकीन है कि मौजूदा इजलास के दौरान सदन को कामयाबी से चलाने में आप सबका मुकम्मल सहयोग लगातार मिलता रहेगा ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 20 जुलाई, 2018 को बिहार विधान मंडल द्वारा पारित तथा महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

1. बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017
2. बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017
3. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2018
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018
3. बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018
4. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

वित्तीय कार्य

दिनांक 20 जुलाई, 2018 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया । दिनांक 25 जुलाई, 2018 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा यह स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(3) के तहत् बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018 को दिनांक 01.01.2016 से प्रवृत किये जाने के कारणों से संबंधित विवरण, की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्त विभाग से संबंधित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्त विभाग से संबंधित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार वित्त विभाग से संबंधित द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
6. माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा सहकारिता विभाग से संबंधित भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए(2) के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम का वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
7. माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) के तहत् ''बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018'' की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018
2. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018
3. बिहार वित्त विधेयक, 2018
4. दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018

5. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018
6. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

याचिका

इस सत्र में कुल 107 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 81 स्वीकृत हुए तथा 26 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 127 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 124 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 03 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 746 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 557 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत हुई । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 07 अल्पसूचित, 478 तारांकित एवं 72 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 14 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 74 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 01, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 02 एवं 466 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 98 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 40 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 97 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए एवं सभी सूचनाएँ सदन के लिए स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी सूचनाओं पर सदन में विमर्श न होने के कारण बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-164 के तहत् सभी संकल्प वापस लिया गया माना गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय प्रेम प्रदीप, पूर्व सांसद, लोक सभा
2. स्वर्गीय नील मोहन सिंह, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय कामेश्वर पासवान, पूर्व सांसद एवं पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही, पूर्व सांसद एवं पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय बागुन सुम्बरूई, पूर्व सांसद एवं पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय डॉ० पद्माशा झा, पूर्व स०वि०प०
7. स्वर्गीय ऋषिकेश तिवारी, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय राजकुमार महासेठ, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व स०वि०प०

दिनांक 26 जुलाई, 2018 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

सेवा में,

....

....

....

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव, 07/09/18
बिहार विधान सभा, पटना ।